जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 27.04.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3314 द्वारा मारपीट/ विवाद में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 3314 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 03 व्यक्तियों (1.कोहिनूर पुत्र रामू 2. ओम पुत्र पेन्टर 3. पावा पुत्र खेतारी निवासीगण इटौवा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट विवाद में घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहाय़ता से अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धर्मसिंहवा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 किशन कुमार, हो0चा0 विनय पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 153 वाहनों से 1,56,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27.04.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 153 वाहनों से 1,56,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 108/2025 धारा 65(1), 333, 352,351(1) बीएनएस 5j(2) व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता विनोद सोनकर पुत्र हीरामन निवासी महुली खास थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 27.04.2025 को महुली तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 26.04.2025 को थाना महुली पर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर व डरा धमकाकर अभियुक्त द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 27.04.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामकरन निषाद, का0 सुनील सिंह।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 20,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 27.04.2025 को थानाध्यक्ष दुधारा *श्री इन्द्रभूषण सिंह* के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 210/2024 धारा 2(b)(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शशिकान्त सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह निवासी निबी थाना अदहलहाट जनपद मिर्जापुर को कुर्थिया गांव कांटे चौकी के पास बस्ती गोरखपुर हाइवे से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
शशिकान्त सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह निवासी निबी थाना अदहलहाट जनपद मिर्जापुर।
आपराधिक इतिहासः-
1- मु0अ0स0 285/2024 धारा 395/412 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-**
थानाध्यक्ष श्री इन्द्रभूषण सिंह,उ0नि0 श्री वीरबहादुर यादव, हे0 का0 राजेश कुमार, का0 मनीष वर्नवाल।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 किलो 100 ग्राम अवैध गाँजा व 10 लाख रु0 नकद के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व क्रय / विक्रय की रोकथाम हेतू चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय व प्रभारी निरीक्षक एसओजी श्री सर्वेश राय के संयुक्त नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त हीरालाल पुत्र स्व0 रामदुलारे निवासी मिश्रौलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को आज दिनांक 26.04.2025 को बरदहिया चौकी अन्तर्गत सब्जी मण्डी के पास सामुदायिक शौचालय के पास से कुल 01 किलो 100 ग्राम अवैध गाँजा व गाँजा बेचने से प्राप्त 10 लाख रु0 नकद के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
हीरालाल पुत्र स्व0 रामदुलारे निवासी मिश्रौलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।
पंजीकृत अभियोग– मु0अ0स0 339/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
बरामदगी- कुल 01 किलो 100 ग्राम अवैध गाँजा व गाँजा बेंचने से प्राप्त 10 लाख रु0 नकद।
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 1899/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल-
थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम- उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, का0 अरविन्द तिवारी, का0 संदीप कुमार यादव, का0 पंकज विश्वकर्मा।
***एसओजी पुलिस टीम**-* हे0का0 बृजकिशोर गुप्ता, का0 दीपक सिंह, का0 वीरबहादुर यादव, का0 शुभम कुमार, का0 अरुण कुमार हलवाई, का0 विवेक मिश्रा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा चोरी व छिनैती के मामले का सफल अनावरण करते हुए 02 अदद मोबाइल फोन, 500 रू0 नकद व छिनैती व चोरी की घटनाओ में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 11.04.2025 को वादिनी कु0 सुधा विश्वकर्मा पुत्री स्व0 ओमप्रकाश विश्वकर्मा निवासिनी ग्राम गजपुर पोस्ट कोनी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सूचना दिया गया कि नेहरु चौक के पास स्थित बडौदा यू0पी0 बैंक के सामाने स्थित ग्राहक सेवा केन्द्र पर 4000 रु0 में आपरेटर का कार्य करती है दिनाँक 07.04.2025 को उनकी साइकिल 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र से चोरी कर ली गयी है । उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0स0 293/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

दिनांक 26.04.2025 को वादी श्री उमेश चन्द द्विवेदी पुत्र स्व0 सदानन्द द्विवेदी निवासी फेरुसा थाना को0 खलीलाबाद हाल पता गायत्री राइस मिल, औद्योगिक क्षेत्र थाना को0 खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सूचना दी गयी कि दिनाँक 23.04.2025 को शाम के करीब 7.00 बजे फायर स्टेशन के बगल में अपनी पत्नी के साथ टहल रहे थे कि पीछे से 02 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों द्वारा 01 अदद मोबाइल फोन छीनकर भाग गए । उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0स0 336/2025 धारा 304(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 27.04.2025 को उक्त घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों को औद्योगिक क्षेत्र तिराहा, लेबर कालोनी के पास से छिनैती के 02 अदद मोबाइल फोन, 500 रु0 नकद व छिनैती व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल होण्डा ड्रीम नियो UP58 H9819 के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 293/2025 धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा मु0अ0सं0 336/2025 धारा 304(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया है ।

***गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता**:-*

1. अंशु शाह पुत्र मनोज शाह साकिन पाकरगांव थाना बगहा जनपद पश्चिमी बिहार हाल मुकाम बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
2. आशुतोष पाठक उर्फ सत्यम पाठक पुत्र गजेन्द्र पाठक साकिन महनी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

1. छिनैती के 02 अदद मोबाइल फोन।
2. 500 रु0 नकद (चोरी की साइकिल बेचने से प्राप्त धन)।

6. घटनाओं में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल होण्डा ड्रीम नियो (रजि0 नं0 UP58 H9819)।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तो से पूछताछ की गयी तो बताए कि बरामद 01 अदद मोबाइल(Redmi8) फोन करीब एक माह पहले तामेश्वरनाथ मन्दिर के पास से एक व्यक्ति के पास से छीन लिये थे तथा बरामद अन्य 01 अदद मोबाईल फोन (1+ NORDCE4) दिनांक 23.04.2025 को सांय करीब 7.00 बजे औद्यौगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन के बगल वाली रोड पर टहल रहे एक व्यक्ति से पीछे से छीन कर भाग गये थे। दिनांक 27 मार्च 2025 को दोपहर में नेहरू चौक के पास बड़ौदा यूपी के सामने से एक साइकिल हम दोनो द्वारा चुराया गया था जिसे मात्र 500 रू0 में बेंच दिया था ।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, का0 घनश्याम त्रिपाठी, का0 मनीष कुमार यादव।